

फर्द अहकाम

जमाना बनाम कमलेश

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या 102/2024

087/2024 अ.पू.ट.र.

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विरोध
	28.11.25	वकूलाये फरीफेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक... 08.12.25 को पेश हो।	
	08.12.25	वकूलाये फरीफेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक... 17.12.25 को पेश हो।	
	17/12/25	पत्रावली पेशा जारी की जो रूके ठेके उपलब्ध नहीं। जमाना समग्र के दौरान बार-बार आवाज लगावने के कारण भी जारी की जो रूके ठेके उपलब्ध नहीं होने के कारण जारी का जोर प.र. अदम हाजरी एवं अदम फेदकी में खारिज किया जाता है पत्रावली कमल सुमात द्वारा दर्ज गन्ना लेकम हो वाड साखिल इफ्तल हो।	

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)